



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा.सं.: GCCO/RTI/PN/6/2021-LEGAL

दिनांक: ई हस्ताक्षरित

PUBLIC NOTICE No : 02/RTI/2026**सार्वजनिक सूचना सं. : 02/RTI/2026**

फा.सं. GCCO/RTI/PN/6/2021-LEGAL दिनांक 28.08.2026 के अधीन जारी सार्वजनिक सूचना के अधिक्रमण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी को कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के संदर्भ में **केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी** नामित किया जाता है।

In supersession of the Public Notice issued under F.No. GCCO/RTI/PN/06/2021-LEGAL dated 28.08.2023, it is hereby informed that the officer mentioned in the column (3) of the table below is designated as Central Public Information Officers (CPIO) in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 in respect to the Office of the Chief Commissioner, CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur.

Sl.No.	Designation in terms of the RTI Act, 2005	Name & Designation of the Officer
(1)	(2)	(3)
1.	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय, मुख्य आयुक्त सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर के संबंध में The Central Public Information Officer (CPIO) in r/o Office of the Chief Commissioner, CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur	श्री राजेश परनामी सहायक आयुक्त कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर एन. सी.आर. बिल्डिंग स्टेच्यू सर्कल, सी - स्कीम, जयपुर - 302005 Sh.Rajesh Parnami, Assistant Commissioner, CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur, NCRB, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur-302005

इसके अतिरिक्त, श्री राजेश परनामी, सहायक आयुक्त एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) के अवकाश, प्रशिक्षण अथवा अन्य किसी कारणवश अनुपस्थित रहने की स्थिति में, श्री अजय गुप्ता, सहायक आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर, मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) होंगे।

Further, in absence of Sh. Rajesh Parnami, Assistant Commissioner & CPIO due to leave, training or otherwise, Sh. Ajay Gupta, Assistant Commissioner, CGST & Central Excise, Jaipur Zone, Jaipur will be the CPIO in respect of O/o the Chief Commissioner, CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur.

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005(राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स: 0141-2385130, ईमेल: ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्विटर : @CGSTJAIPURZONE

यह आदेश मुख्य आयुक्त की अनुमति से जारी किया गया है।
This issues with the approval of the Chief Commissioner.

(शर्मा सूर्यप्रकाश गुलाबचन्द)
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-
Copy for information to:-

- अतिरिक्त महानिदेशक (सिस्टम्स), सिस्टम महानिदेशालय, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, होटल सम्राट, नई दिल्ली।
The Additional Director General (Systems), Directorate General of Systems, Customs & Central Excise, Hotel Samrat, New Delhi.
- आयुक्त, प्रचार एवं जनसंपर्क महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
The Commissioner, Directorate General of Publicity & Public Relations, Customs & Central Excise, I.P. Estate, New Delhi.
- महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम) सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
The Director General, Directorate General of Performance Management (DGPM) Customs & Central Excise, I.P. Estate, New Delhi.
- प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अलवर/जयपुर/जोधपुर/ उदयपुर/ ऑडिट-जयपुर/ ऑडिट-जोधपुर/अपील-जयपुर/ अपील-जोधपुर को अनुरोध है कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर इस सार्वजनिक सूचना का व्यापक प्रचार करें और इसकी प्रतियां विभिन्न व्यापार संघों और क्षेत्रीय सलाहकार समिति (आरएसी) के सदस्यों को अग्रेषित करें।
The Principal Commissioner/Commissioner, CGST & Central Excise Commissionerates, Alwar/Jaipur/Jodhpur/Udaipur /Audit-Jaipur /Audit-Jodhpur/Appeals-Jaipur/Appeals-Jodhpur with request that they may give wide publicity to this Public Notice within their respective jurisdiction and to forward copies of the same to the various Trade Associations & Members of Regional Advisory Committee (RAC).
- सुश्री अनुपमा सक्सेना, सहायक आयुक्त को व्यक्तिगत प्रति।
Personal copy to Ms. Anupama Saksena, Assistant Commissioner.
- श्री राजेश परनामी, सहायक आयुक्त को व्यक्तिगत प्रति।
Personal copy to Shri Rajesh Parnami, Assistant Commissioner.
- श्री राजेश राठी सहायक आयुक्त को व्यक्तिगत प्रति।
Personal copy to Shri Rajesh Rathi, Assistant Commissioner.
- श्री अजय गुप्ता, सहायक आयुक्त को व्यक्तिगत प्रति।
Personal copy to Shri Ajay Gupta, Assistant Commissioner.
- अधीक्षक (कंप्यूटर), सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को ज़ोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
The Superintendent (Computer), CGST & Central Excise Commissionerate, Jaipur for uploading on Zonal website.
- सूचना पट्ट।
Notice Board.